

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013—आषाढ़ 28, शक 1935

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 6 जुलाई 2013

अधि. क्र. 364-DUDA-2013.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 (क) (1) के लिये प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी की सीमा में अनुसूची "एक" में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है, उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र सीमा का कोई भी व्यक्ति, निवासी को यदि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस आरंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर कलेक्टर, जिला सीधी को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

अनुसूची-एक

नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम :—

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्र का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सीधी	गोपद बनास	नौढ़िया	579.882	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 856 तक.
		पड़ैनिया कला	21.34	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 81 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सीधी	गोपद बनास	पडैनिया खुर्द	138.13	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 207 तक.
		पडैनिया पवाई	61.35	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 151 तक.
		पड़रा	537.628	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 408 तक.
		जमोड़ी सेगरान	123.53	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 372 तक.
		मुठिगवां कला	153.82	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 376 तक.
		मुठिगवां खुर्द	31.29	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र, भूमि खसरा क्र. 01 से लगायत 113 तक.
		योग . .	1646.97	

अनुसूची-दो

अनुसूची "एक" की सीमा नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी के सीमा में सम्मिलित होने पर संशोधित सीमा :—

उत्तर— ग्राम नौढ़िया, जमोड़ी खुर्द, कोतरकला की अंतिम उत्तरी सीमा.

पूर्व— ग्राम पडैनिया खुर्द, पडैनिया कला, पडैनिया पवाई, डैनिहा, सीधी खास की अंतिम पूर्वी सीमा.

दक्षिण—ग्राम सीधी खुर्द, पड़रा की अंतिम दक्षिणी सीमा.

पश्चिम—ग्राम मुठिगवां कला, जमोड़ी सेगरान, जमोड़ी खुर्द की अंतिम पश्चिमी सीमा.

Notif. No. 364.—In exercise of powers conferred for Section 5 (A) (1) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) the hereby signify their intention to within the limits of the Municipal Council Sidhi, District Sidhi include the local area which is defined in schedule-1 below, Any inhabitant of the local area defined in the Schedule may submit his objection or suggestion in writing to Collector, District Sidhi within 30 days from the date of primary Publication for this notification for the consider as per rule. and State Government take such objection or suggestion in to consideration:—

SCHEDULE-1

The area of the revenue village proposed to be included in Sidhi Municipal Council limit shall be as follows :—

District	Tahsil	Name of village	Area of village (in Hectares)	Detail of area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sidhi	Gopad Banas	Naudhiya	579.882	Total area of the village khasara No. 01 to 856
		Padainiya Kala	21.34	Total area of the village khasara No. 01 to 81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sidhi	Gopad Banas	Padainiya Khurd	138.13	Total area of the village khasara No. 01 to 207
		Padainiya Pawai	61.35	Total area of the village khasara No. 01 to 151
		Padra	537.628	Total area of the village khasara No. 01 to 408
		Jamodi Segran	123.53	Total area of the village khasara No. 01 to 372
		Muthigawa Kala	153.82	Total area of the village khasara No. 01 to 376
		Muthigawa Khurd	31.29	Total area of the village khasara No. 01 to 113
Total . .			1646.97	

SCHEDULE-2

The revised boundary of the Municipal Council Sidhi after the inclusion of the area prescribed in Schedule-1 above is as follows:—

North—Village Naudhiya, Jamodi Khurd, Kotar kala North area Last boundary.

East— Village Padainiya khurd, Padainiya kala, Padainiya pawai, Dainiha, Sidhi khas East area Last boundary.

South—Village Sidhi khurd, Padra, South area Last boundary.

West— Village Muthigawa kala, Jamodi segran, Jamodi khurd. West area Last boundary.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर.